

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक/अधि.छा.क.वि./2018/.....170

जबलपुर, दिनांक: 28/9/2018

सूचना

विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रभारियों को सूचित किया जाता है कि यू.जी.सी.के पत्र क्रमांक D.O No./F1-15/2009/(ARC) Pt.III दिनांक 28.05.2018 के द्वारा विश्वविद्यालय को रैगिंग मुक्त किए जाने हेतु दिए गए सुझावों का पालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। यथा:- एन्टी रैगिंग सेल की स्थापना, प्रॉस्पेक्ट्स में चेतावनी अंकित करना, छात्र/छात्राओं एवं अभिभावक से शपथ पत्र लिया जाना, रैगिंग रोकने हेतु पोस्टर लगाए जाना, वर्कशॉप/सेमिनार आयोजित करना, छात्र/छात्राओं की निजता हेतु एप्प आदि तैयार करना, समय-समय पर रैगिंग रोकने हेतु संवाद एवं काउंसिलिंग करना, हॉस्टल केन्टीन एवं छात्रों के ठहरने के स्थान पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाना एवं एन्टी रैगिंग स्लोगन द्वारा सूचित करना आदि। इस हेतु नेशनल एन्टी रैगिंग हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-5522 (24x 7 Toll Free) एवं यू.जी.सी की वेबसाइट www.ugc.ac.in & www.antiragging.in पर एवं यू.जी.सी. की रैगिंग मॉनीटरी एजेन्सी मोबाईल नम्बर 09871170303, 09818400116 पर सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही यू.जी.सी. की वेबसाइट से रैगिंग रोकने संबंधी डाक्यूमेंट्री फिल्मों की जानकारी प्राप्त कर, समय-समय पर प्रदर्शित किए जाने के भी निर्देश प्रदान किए हैं।

उक्त कम में आपसे समुचित कार्यवाही की जाने की अपेक्षा है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव, 28/9/18
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

प.क/अधि.छा.क.वि./2018/.....170/अ

जबलपुर, दिनांक :- 28/09/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारीजन
2. वार्डन, पुरुष एवं महिला छात्रावास
3. अध्यक्ष, रैगिंग निरोधक समिति
4. परीक्षा नियंत्रक,

5. कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक प्रभारी, कम्प्यूटर सेंटर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना को वि.वि की वेबसाइट पर अपलोड कर जिससे सम्बद्ध महाविद्यालयों को सूचना प्राप्त हो सके।

रा.दु.वि.वि., जबलपुर।